न्यायालय

पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल, मध्यप्रदेश

(नया पुलिस कंट्रोल रूम, चतुर्थ तल, जहांगीराबाद- भोपाल- 462008)

क्र.-पु.आयु./पु.उपा./आसू. सुरक्षा/भोपाल/आ० 34 /26 दिनांक- 05/11/2026

//आदेश//

(अंतर्गत धारा- 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

वर्तमान समय में घरों में उपचाररत मरीजों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, अकेले रहने वाले व्यक्तियों, बच्चों एवं निरंतर देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए निजी हेल्थ केयरटेकर एवं अन्य परिचारक उपलब्ध कराने की आवश्यकता बढ़ रही है। इस प्रकार की सेवाओं के दौरान संबंधित कर्मियों को नागरिकों के आवास, निजी जीवन, घरेलू सामान, कीमती वस्तुओं तथा कई बार बैंकिंग एवं अन्य संवेदनशील जानकारियों तक पहुँच प्राप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों की वास्तविक पहचान स्थाई/अस्थाई पते की पुष्टि न होने, एवं चरित्र सत्यापन न होने,फर्जी दस्तावेजों, कर्मचारियों के अनियंत्रित प्रतिस्थापन, सेवा प्रदाता के पास अभिलेख उपलब्ध न होने तथा संदिग्ध गतिविधियों की समय पर सूचना नहीं दिए जाने से चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, मारपीट, दुर्व्यवहार, अवैध वसूली, यौन अपराध, वरिष्ठ नागरिकों के शोषण एवं अन्य आपराधिक घटनाएं घटित होती है।

भोपाल शहर की कानून एवं व्यवस्था एवं यहां स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण लोकसंपत्तियों तथा मानव जीवन को किसी भी प्रकार से कोई खतरा न हो,इसको रोकने के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना प्रासंगिक है।

अत: मैंसंजय कुमार, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल में निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ:-

1. प्रत्येक संस्था अपने व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार लागू कानूनों के अंतर्गत आवश्यक पंजीयन, लाइसेंसअथवा अनुमति प्राप्त कर ही संचालित किया जावे। संस्था अपने कार्यालय का पूर्ण पता, अधिकृत दूरभाष नंबर, ई-मेल, प्रबंधन का विवरण तथा शिकायत निवारण हेतु नामित अधिकारी का विवरण अद्यतन रखेगे।
2. संस्था के कार्यालय एवं सेवा केंद्रों पर उपलब्ध वैधानिक पंजीयन अथवा लाइसेंस का विवरण आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जावे।
3. संस्था अपने सेवाओं के संबंध में सुरक्षा संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाये एवं इसे समय-समय पर अद्यतन करे।
4. यदि संस्था नर्सिंग, चिकित्सकीय देखभाल, चिकित्सा संबंधी प्रक्रिया अथवा अन्य विनियमित सेवा उपलब्ध कराती है, तो संबंधित सेवा के लिए लागू अतिरिक्त पंजीयन एवं योग्यता संबंधी प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
5. संस्था किसी अन्य एजेंसी अथवा उप-ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध कराती है, तो संबंधित एजेंसी की पहचान, अधिकृत प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों की भर्ती एवं सत्यापन की जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाकर संबंधित थाना पर सूचना दिया जाना सुनिश्चित करेगे।
6. संस्था द्वारा नियुक्त, अनुबंधित अथवा सेवा पर भेजे जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का पृथक-पृथक अभिलेख रखा जाए एवंकर्मचारियों की संख्या, नियुक्ति की तिथि, सेवा की प्रकृति, वर्तमान कार्यस्थल, सेवा समाप्ति एवं अन्य आवश्यक विवरणों का सुरक्षित और अद्यतन रिकॉर्ड रखेगे।
7. संस्था का एक अधिकृत अधिकारी कर्मचारियों के सत्यापन, सेवा आवंटन, शिकायतों तथा आपातकालीनपरिस्थितियों के लिए उत्तरदायी बनाया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रत्येक संस्था किसी भी हेल्थ केयरटेकर, मरीज परिचारक, वृद्धजन सहायक, नर्सिंग अटेंडेंट अथवा अन्य कर्मी को घरों में सेवा हेतु भेजने से पहले उसकी पहचान एवं पते की पुष्टि करे तथा संबंधित थानो से पुलिस सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करे ।सत्यापन हेतु संबंधित कर्मचारी का पूरा नाम, पूर्व नाम अथवा उपनाम यदि कोई हो,

न्यायालय पुलिस आयुक्त भोपाल (म.प्र.)

जन्मतिथि, वर्तमान एवं स्थायी पता,संपर्क नंबर, पहचान संबंधी विवरण, हाल का फोटो तथा निर्धारित आवेदन में अपेक्षित अन्य जानकारी थानों पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।

9. आवश्यकता के अनुसार पूर्व रोजगार, पूर्व निवासतथा कार्य अनुभव की जाँच की जाए। यह जाँच कानूनसम्मत तरीके से और उचित उद्देश्य के लिए की जाए।
10. यदि कर्मचारी दूसरे राज्य अथवा जिले का निवासी है, तो उपलब्ध दस्तावेजों और लागू प्रक्रिया के अनुसार उसके वर्तमान एवं स्थायी पते के सत्यापन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
11. संस्था द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को फोटोयुक्त संस्थागत पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए, जिसमें कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का फोटो, कर्मचारी क्रमांक, संस्था का नाम तथा सत्यापन के लिए अधिकृत संपर्क विवरण उपलब्ध हो।
12. प्रत्येक संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति/मरीज के घर कर्मचारी भेजने से पहले मरीज अथवा उसके अधिकृत परिजन को कर्मचारी का नाम, फोटो, सेवा का प्रकार, आगमन का संभावित समय तथा संस्था का संपर्क नंबर एवं कर्मचारी का संपर्क नंबर उपलब्ध कराया जाए।
13. संस्था प्रत्येक सेवा आवंटन का रिकॉर्ड रखे, जिसमें संबंधित मरीज अथवा अधिकृत संपर्क व्यक्ति, सेवा का पता, कर्मचारी का नाम, नियुक्ति की तिथि एवं अवधि के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं फोटो को सुरक्षित रखे।
14. किसी भी कर्मचारी को सेवा स्थल पर किसी अन्य अनधिकृत व्यक्ति को साथ ले जाने की अनुमति न हो, जब तक मरीज अथवा अधिकृत परिजन की पूर्व अनुमति न प्राप्त हो और परिस्थितियाँ इसकी माँग न करती हों। यदि ऐसा किया जाता है तो उक्त व्यक्ति का रिकार्ड भी दिन, दिनांक एवं समय के साथ संधारित किया जावे।
15. संस्था यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी को आवंटित सेवा उसकी योग्यता एवं निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुरूप हो अकुशल कर्मचारी को आवश्यक कुशलता वाले क्षेत्र में न लगाया जावे।
16. किसी कर्मचारी के अवकाश, अनुपस्थिति, सेवा समाप्ति अथवा अन्य कारण से प्रतिस्थापन आवश्यक होने पर संस्था मरीज अथवा अधिकृत परिजन को पूर्व सूचना देना सुनिश्चित करें।नए कर्मचारी की पहचान, फोटो, नियुक्ति का विवरण तथा उपलब्ध सत्यापन की स्थिति से परिजन को अवगत कराया जाए।
17. प्रतिस्थापित कर्मचारी के संबंध में भी वही लागू भर्ती नियम, पहचान एवं सत्यापन प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँ जो अन्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित हैं।
18. रिकॉर्ड में आवश्यकतानुसार आगमन का समय, प्रस्थान का समय, कर्मचारी की पहचान तथा सेवा संबंधी आवश्यक टिप्पणियाँ शामिल हों।
19. संस्था प्रत्येक कर्मचारी को मरीज की गरिमा, निजता, शारीरिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक व्यवहार के संबंध में स्पष्ट निर्देश देवें।यदि मरीज की शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति के कारण वित्तीय कार्यों में सहायता आवश्यक हो, तो यह सहायता मरीज या उसके विधिसम्मत अधिकृत प्रतिनिधि की स्पष्ट अनुमति और उचित नियंत्रण के अंतर्गत ही दी जाए।
20. मरीज की इच्छा, वैध सहमति और चिकित्सकीय आवश्यकताओं के अनुरूप देखभाल की जाए। आपातकालीन स्थिति में लागू कानून और चिकित्सा संबंधी मानकों का पालन किया जाए।
21. कर्मचारी सेवा स्थल पर नशीले पदार्थों के प्रभाव में कार्य न करे तथा किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त न हो।
22. कोई भी कर्मचारी/सहायक किसी भी व्यक्ति/परिजन/मरीज के निजी जीवन, घरेलू परिस्थितियों, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं परिवार के विवरणों का सोशल मीडिया या अन्य सार्वजनिक माध्यम पर अनधिकृत प्रकाशन न किया जाए।
23. संस्था को किसी मरीज के घर से चोरी, धोखाधड़ी, जबरन वसूली, मारपीट, संदिग्ध मृत्यु, गुमशुदगी, यौन अपराध अथवाअन्य गंभीर आपराधिक घटना की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित पुलिस थाने अथवा आपातकालीन पुलिससेवा नंबर पर सूचित करना सुनिश्चित करें।
24. संस्था अपने कर्मचारी, मरीज या परिजन से संबंधित किसी भी प्रकार की घटना की सूचना को केवल प्रतिष्ठा अथवा व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए न छिपाए प्राप्त सूचना को तत्काल संबंधित थानों पर प्रेषित करें। संस्था अपने कर्मचारियों को बताये कि संदिग्ध गतिविधि मिलने पर किस अधिकारी को सूचना देनी है और आपातकाल में किस प्रकार सहायता प्राप्त करनी है।

25. संस्था प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति के समय सुरक्षा, गोपनीयता, मरीजों के अधिकार, आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आचरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करेगें।
26. संस्था द्वारा नामित पर्यवेक्षक समय-समय पर सेवा की गुणवत्ता, कर्मचारियों के आचरण एवं शिकायतों की समीक्षा करेगे तथा अनियमितता पाये जाने अथवा कोई घटना घटित होने की जानकारी प्राप्त होती है तो तत्काल संबंधित थानों पर सूचना देवे।
27. मरीज एवं परिजन से सेवा के संबंध में उचित अंतराल पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की व्यवस्था हो।शिकायत प्राप्त होने, कर्मचारी की पहचान में असंगति अथवा सुरक्षा जोखिम की स्थिति में उचित जाँच की जाए।शिकायत प्राप्त होने पर उसकी तिथि, विषय, संबंधित कर्मचारी, उपलब्ध साक्ष्य तथा की गई कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाए।
28. आपराधिक प्रकृति की शिकायतों को केवल आंतरिक शिकायत मानकर बंद न किया जाए। उक्त संबंध में संबंधित पुलिस थानों पर आवश्यक रूप से सूचित किया जाए।

चूंकि यह आदेश भोपाल शहर में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है इसलिएआदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर, नगर निगम कार्यालय, पुलिस थाना एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा की जावें एवं सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन-साधारण को इसकी सूचना समयाभाव के कारण देना संभव नहीं है।

अत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश **आज दिनांक 05 /11/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।**

SANJAY KUMAR
Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.11.05 19:54:31 +05'30'

(संजय कुमार भा.पु.से.)
पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, गृह विभाग मंत्रालय।
2- कलेक्टर, जिला भोपाल।
3- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/मुख्यालय एवं अपराध, नगरीय पुलिस भोपाल।
4- आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
5- आयुक्त, जनसंपर्क भोपाल।
6- आयुक्त, नगर निगम भोपाल।
7- समस्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल।
8- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
9- उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल।
10- समस्त थाना प्रभारी, नगरीय पुलिस भोपाल।
11- प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष जहांगीराबाद भोपाल।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.11.05 19:53:37 +05'30'

पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल

न्यायालय पुलिस आयुक्त भोपाल (म.प्र.)